आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या–129/22

ब्रीजेश साह

बनाम्

बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
11.05.2023	यह पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, पश्चिम चंपारण, बेतिया की अध्यक्षता में दिनांक–11.06.2018 को आयोजित जिला स्तरीय आपूर्ति चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय दिनांक–19.07.2018 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से जिला स्तरीय चयन समिति ने वादी के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुकंपा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुनने से स्पष्ट है कि जिला स्तरीय आपूर्ति चयन समिति की बैठक दिनांक–11.06.2018 को हुई एवं उनके आदेश ज्ञापांक–545 दिनांक–19.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक–30.06.2022 को वाद दायर किया गया है। अर्थात वादी द्वारा लगभग 04 वर्ष से भी अधिक विलंब से वाद वायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विलंब को क्षांत करने हेतु Condonation Petition दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन में उनके द्वारा यह कहा गया है कि वादी एवं उनके	

WEB COPY NOT OFFICIAL

परिवार के लोग वर्ष–2020–21 में कोरोना से ग्रसित थे जिस कारण मुजफ्फरपुर के किसी अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाय और वाद दायर करने में विलंब हो गया।

उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा अपने विलंब को क्षांत करने हेतु जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि दिनांक–19.07.2018 को ही जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है जो कोरोना की अवधि के काफी दिन पूर्व का है । इसलिए कोरोना को आधार मानकर वादी द्वारा किया गया दावा भी हास्यास्पद प्रतीत होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने का कोई साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति मे पुनरीक्षण वाद दायर करने मे हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जबाब वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नही दिया जा सका।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को उपरोक्त कारणो से कालबाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL